निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14 / 2022
दायरा दिनांकः—25.02.2022
निर्णय दिनांकः— 21.10.24

उनवान

राजेन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड निवारी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां राज0

बनाम

1. सत्यानारायण आयु 70 वर्ष आत्मज धुलीलाल जाति धाकड निवारी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मुकेश आयु 35 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. बालकृष्ण आयु 31 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. विनोद आयु 28 वर्ष आत्मज सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. मुस0 पुष्पलता आयु 40 वर्ष बैवा सुरेश जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. मुस0 कमला बाई आयु 65 वर्ष पत्नि सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मुस0 गायत्रीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम कोहन तह0 बम्बोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
8. मुस0 निर्मला आयु 37 वर्ष पुत्री सत्यानारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम छबडा जिला बारां (राज0)
9. अनुराग आयु 14 वर्ष नाबालिंग आत्मज सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुष्पलता जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
10. शीतल आयु 16 वर्ष नाबालिंग पुत्री सुरेश वलि सरपरस्त माता स्वंय पुषालता जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)
12. उप पंजीयन अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 21.10.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कमल सिंह आशावत — प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमियां खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 470 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 किता आराजीयात मवाजी 34 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित है, जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी कम संख्या 1 के खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू० अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। उक्त वर्णित भूमियो मे से भूमि खसरा नम्बर 470 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा जो बाग वाली बाड़ी एव चबूतरे वाली बाड़ी है को अप्रार्थी कम संख्या 1 ने अपने पास रखंते हुये शेष भूमियां खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा का आपसी पारिवारिक विभाजन अप्रार्थी कम संख्या 1 सत्यनारायण ने अपने पुत्रो प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 4 एंव अपने स्वर्गीय पुत्र सुरेश की पत्नि अप्रार्थी कम संख्या 5 के मध्य अपनी स्वेच्छा एंव राजी खुशी से अर्सा लगभग 15 वर्षो पूर्व हिस्सा बराबर से अर्थात् हिस्सा 1/5– 1/5 के अनुपात से कर प्रार्थी को उसके 1/5 हिस्से पर इसी प्रकार अप्रार्थीगण कम संख्या 2 को हिस्सा 1/5 एंव अप्रार्थी कम संख्या 3 को उसके 1/5 हिस्से पर अप्रार्थी कम संख्या 4 को उसके 1/5 हिस्से पर तथा अप्रार्थीया कम संख्या 5 को उसके 1/5 हिस्से पर कब्जा समंला दिया आपसी पारिवारिक विभाजन का बटवारां नामा स्वंय खातेदार अप्रार्थी कम संख्या । सत्यनारायण ने रूबरू गवाहान लेखबृद्ध कराकर असल बटवारा नामा अपने स्वंय के पास रखकर उसकी फोटो कॉपिया कराकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 5 को समला दी। अप्रार्थी कम संख्या के द्वारा किये गये आपसी पारिवारिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा में से हिस्सा 1/5 जो अप्रार्थी कम संख्या 2 के हिस्से के बाद बजानिब दक्षिण दिशा एव भूमि खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 जो अप्रार्थी कम संख्या 2 के हिस्से के पश्चात् बजानिब पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में है। एवं भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा में से हिस्सा 1/5 बजानिब पश्चिम दिशा, तथा खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा मे से हिस्सा 1/5 बजानिब पश्चिम दिशा पर आधिपत्य सभलाया गया इसी प्रकार अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 5 प्रत्येक को भी भूमियो का विभाजन कर उनके हिस्से 1/5 एंव 1/5 की भूमियो पर आधिपत्य समंला दिया जब से ही अर्थात् गत् 15 वर्षो से नियमित रूप से अभी तक बेहेसियत मालिक एव खातेदारान के प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 5 अपने–अपने हिस्से में प्राप्त हुयी भूमियो पर काबिज है और काश्त करते हुये चले आ रहे है, प्रार्थी ने मौजूदा समय में अपने हिस्से की भूमियो मे फसल सरसो, लहसुन तथा गेहूँ इत्यादि बो रखे है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 5 को उनके हिस्से एंव कब्जे काश्त मे प्राप्त हुयी भूमियो पर नियमित रूप से अभी तक गत् 15 वर्षो से बेहेसियत मालिक एंव खातेदार के कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण कम 2 ता 5 को उसके हिस्से में प्राप्त हुई भूमियो पर ऐडवर्स पजेशन (कब्जा मुखालफाना) हो चुका है। और बाई ऑपरेशन ऑफ ला के तहत् प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम 2 ता 5 अपने अपने हिस्से में प्राप्त हुयी भूमियो पर स्वतः ही खातेदारी की श्रेणी को प्राप्त कर चुके है और धारा 63 राजस्थान टेनेसी एक्ट के प्रावधानो के तहत मूल खातेदार अर्थात् अप्रार्थी कम संख्या 1 की खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। इस

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कारण भी प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 2 ता 5 अपने अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त मे प्राप्त हुयी भूमियो को अपने नाम खातेदारी मे दर्ज कराने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम संख्या 11 तहसीलदार छबड़ा के समन्धित रेवेन्यू अधिकारियो से सम्पर्क कर भूमिया खसरा नम्बरान 372/1 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 408 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा . खसरा नम्बर 540 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके माल भीलवाड़ानीचा तहसील छबड़ा के हिस्सा 1/5 को प्राथर्थी के नाम एंव हिस्सा 1/5 को अप्रार्थी कम संख्या 2 के नाम एंव हिस्सा 1/5 अप्रार्थी कम संख्या 3 के नाम तथा हिस्सा 1/5 अप्रार्थी कम संख्या 4 के नाम इसी प्रकार हिस्सा 1/5 प्रतिवादी कम संख्या 5 के नाम शामलाती खातेदारी मे दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की अन्त मे दिनांक 25/1/2022 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 11 तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। प्रार्थी ने आपसी पारिवारिक विभाजन मे प्राप्त हुयी भूमिया का विभाजन करने हेतु अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 5 से अनुरोध किया तो उन्होने प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा एंव मारपीट की और दिनांक 12/02/2022 को भूमियो का विभाजन करने से कतई इनकार कर भूमियो के अन्यंत्र रहन, बैय, तथा हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थी द्वारा बोई गई फसलो को जबरन काट कर ले जाने की प्रार्थी को धमकी दी अत यही दिनांक 12/02/2022 विनाय मुखासमत वाद कायम किया जाता है। यदि अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया जाता है तो वह जबरन ताकत के बल पर वह वादी के हिस्से एंव कब्जे काश्त मे चली आ रही भूमियां हिस्सा 1/5 पर प्रार्थी आधिपत्य कर भूमियो को अन्यंत्र रहन, वैय, तथा हस्तान्तरण कर देगे और वादी द्वारा बोई फसलो को काटकर ले जायेगे जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को दीगर मुकदमे बाजियो मे मशरूफ होकर जेरबार होना पड़ेंगा और प्रार्थी को भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ती होना नितांत असम्भव हो जावेगा अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी कराने के वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है। यह कि अप्रार्थी कम संख्या 6 कमलाबाई अप्रार्थी कम संख्या 1 की पत्नि एव अप्रार्थीगण कम संख्या 7 एंव 8 अप्रार्थी कम संख्या 1 की पुत्रिया एंव अप्रार्थी कम संख्या 9 एवं 10 अप्रार्थी कम संख्या 1 के पौत्र एंव पौत्री होने के कारण उनको प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रोफोर्मा अप्रार्थीगण बनाये गये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 300 नकल नक्शा ट्रेस नकल बटवारा नामा पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के पिता अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में चली आ रही है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा खसरा नम्बर 470 रकबा 1.06 बीघा खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा अपने पास रखतें हुए शेष भूमि का पारिवारिक विभाजन अपने पुत्रों में कर दिया तथा अपने–अपने हिस्से पर कब्जा सभला दिया। पारिवारिक विभाजन अनुसार प्रार्थीव अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काश्त करतें चलें आ रहें है अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 से आपसी पारिवारिक विभाजन में प्राप्त भूमि को खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन किया परन्तु खातेदारी व बटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया। तथा भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी गई। अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 300 के अनुसार सत्यानारायण पुत्र धुलीलाल कोम धाकड दर्ज होना पाया जाता है। 100/– रूपयें के स्टम्प पर बटवारा नामा दिनांक 01.06.2020 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 ता 5 के मध्य भूमि का सहमति से बटवारां किया जाना पाया जाता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिकारो को मूल वाद में साक्ष्य/सबूतो के आधार पर निर्णित किया जायेगा मूल वाद में निर्णय होने तक वाद बहुलता को रोकने एवं प्रार्थी के हितों के सरक्षण के लिए राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 372/1 रकबा 11.04 बीघा खसरा 408 रकबा 4.07 बीघा खसरा नम्बर 470 रकबा 1.06 बीघा खसरा नम्बर 475 रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 490 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 540 रकबा 16.10 बीघा पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)